



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 1026-पारे०अनु०-०४/पाद्राकालि-2022-20/2009 टी०सी०-1।

दिनांक: 15 नवम्बर, 2022

मुख्य अभियन्ता (पारे० क्षेत्र दक्षिण-पूर्व)/(पारे० क्षेत्र उत्तर-पूर्व)/
(पारे० क्षेत्र दक्षिण-मध्य)/(पारे० क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम)/
(पारे०प०)/(पारे०म०)/(संचार एवं नियंत्रण)/
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)/(सी०एम०यू०टी०)/
(765 एवं 400 के०वी० परिकल्पना इकाई)/(नियोजन)/
(जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय)/
उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०,
प्रयागराज/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

ई-मेल

विषय: "विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र०" द्वारा बिजली कर्मियों एवं अभियन्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 17.11.2022 से संशोधित चरणबद्ध आन्दोलन करने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-4661-औ०सं०-17/पाकालि/2022-64-ए०एस०/02, दिनांक 10.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० के पत्र संख्या-116/संघर्ष, दिनांक 08.11.2022 द्वारा पुनः दिनांक 17.11.2022 से निम्नवत् संशोधित चरणबद्ध आन्दोलन की नोटिस के संदर्भ में समस्त डिस्कॉम को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं :-

क्र०सं०	दिनांक	कार्यक्रम
1	17.11.2022	विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र के सभी घटक श्रम संघों/सेवा संगठनों की प्रान्तीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य व पदाधिकारी शक्तिभवन मुख्यालय, लखनऊ में प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक सामूहिक सत्याग्रह व प्रदर्शन करेंगे।
2	21.11.2022	अपरान्ह 03 बजे से 05 बजे तक समस्त जनपदों/परियोजनाओं पर विरोध सभायें की जायेंगी।
3	22.11.2022	नियमानुसार कार्य आन्दोलन एवं जनपद एवं परियोजना स्तर पर माननीय जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन प्रेषण।
4	28.11.2022	सायं 5:00 बजे समस्त जनपद/परियोजना मुख्यालयों पर मशाल जुलूस कार्यक्रम।
5	29.11.2022	प्रातः 8:00 बजे से सभी ऊर्जा निगमों के समस्त कर्मचारी व अभियन्ता अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे।

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या-808/24-पी-2-20-1(121)/04, दिनांक 30.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम-30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-2643-औ०सं०/17/पाकालि/2022-159-ए/67, दिनांक 15.07.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है, अपितु अवैधानिक भी है।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ०सं०/17/पाकालि/2001-3 ए०/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं, जिसके परिणाम से सेवा में व्यवधान (Break in Service) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(2)

अतः आपसे अनुरोध है कि "विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र०" द्वारा दिनांक 17.11.2022 से प्रस्तावित आन्दोलन/कार्य बहिष्कार के नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या : 1026-पारे०अनु०-04/पाट्राकालि/2022

तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- ✓ 10. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेषन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से



(विनोद कुमार)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)